**राष्ट्रीय अध्येताओं/अध्येताओं के लिए अवकाश नियम**

(क) आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकाश तथा परिवर्तित अवकाश।

1 मार्च से 15 दिसंबर के दौरान संस्थान में आवास के दौरान प्रत्येक वर्ष अध्येता पूर्ण अध्येतावृति अनुदान के साथ निम्न प्रकार के अवकाशों के हकदार होंगे-

(क) आकस्मिक अवकाश 8 दिन

(ख) अर्जित अवकाश 20 दिन

(ग) परिवर्तित अवकाश 7 दिन

(चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर)

नोट- (1) स्थान प्रस्थान, आकस्मिक अवकाश और अर्जित अवकाश के लिए निदेशक की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। आकस्मिक अवकाश और अर्जित अवकाश को संयुक्त नहीं किया जा सकता।

अन्य सभी मामलों में, छुट्टी की मात्रा निवास की अवधि के अनुपात में लागू होगी।

(2) अवकाश ग्रहण करने के उपरांत (आकस्मिक अवकाश को छोड़कर) अध्येताओं को अपनी आगमन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

(ख) अध्ययनार्थ अवकाश

(1) दो वर्ष के पूर्ण कार्यकाल वाले अध्येता एक वर्ष में 30 दिनों के अध्ययन अवकाश के हकदार होंगे।

(2) एक वर्ष के कार्यकाल वाले अध्येता 30 दिनों के अध्ययन अवकाश के हकदार होंगे।

(3) छह महीने के कार्यकाल वाले अध्येता 15 दिनों के अध्ययन अवकाश के हकदार होंगे।

(4) जो अध्येता अपने गृह नगर में अध्ययन अवकाश पर जाता है वह यात्रा भत्ते का हकदार होगा लेकिन मंहंगाई भत्ते का नहीं।

(5) हवाई यात्रा या प्रथम श्रेणी वातानुकुलित रेल यात्रा की अनुमति नहीं है। अन्य मामलों में उनपर वहीं नियम लागू रहेंगे जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होते हैं। जहां किसी अध्येता के मूल वेतन अभिज्ञेय तो उसके यात्रा भत्ते/मंहगाई भत्ते के निर्धारण के लिए उसे मिलने वाली अध्येतावृति अनुदान राशि को मूल वेतन माना जाएगा। टिकट नंबरों का विवरण हमेशा भरे जाने वाले यात्रा भत्ते के बिल में दिया जाना चाहिए।

**नोट-** सभी अध्येताओं के लिए 1 मार्च से 15 दिसंबर तक संस्थान में रहना अनिवार्य है। 16 दिसंबर से 28 फरवरी तक वैकल्पिक है कि वे अध्ययनार्थ अवकाश ग्रहण करें। इस अवधि के दौरान वे शिमला से बाहर पुस्तकालयों और अभिलेखागार आदि से परामर्श के लिए जाएं हालांकि, विशेष परिस्थितियों में उपर्युक्त अवधि के अलावा भी अध्ययनार्थ अवकाश दिया जा सकता है यदि किन्ही अपरिहार्य कारणों जैसे बीमारी या संस्थान में व्यस्तता आदि के चलते वे 16 दिसंबर से 28 फरवरी के दौरान अध्ययन अवकाश प्राप्त न कर पाएं हों।

(ग) ड्यूटी अवकाश

अध्येताओं को उनके अनुसंधान परियोजनाओं से संबंधित शैक्षणिक गतिविधियों या संगोष्ठी आदि में भाग लेने के लिए मार्च से दिसंबर के दौरान 15 दिनों का ड्यूटी अवकाश दिया जा सकती है, लेकिन संस्थान द्वारा इस तरह की छुट्टी के लिए कोई यात्रा भत्ता /मंहगाई भत्ता प्रदान नहीं किया जाएगा।

नोट- अध्येताओं को ड्यूटी अवकाश ग्रहण करने के बाद अपनी आगमन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

(घ) यदि कोई अध्येता संस्थान में अपनी शोध परियोजना के अलावा अन्य किसी कार्य के सिलसिले में अवकाश के लिए अनुरोध करता है तो उन्हें अध्येतावृति अनुदान के बिना छुट्टी प्रदान की जा सकती है। इस तरह की छुट्टी अध्येताओं को उनके अनुमोदित अनुसंधान कार्य के सिलसिले में विदेश जाने के लिए भी दी जा सकती है, बशर्ते कि उसे अध्येतावृति अवधि के विस्तार का आधार न माना जाए। अध्येताओं को मुख्य रूप से उनकी स्वीकृत शोध परियोजना के सिलसिले में काम करने के लिए विदेश में आयोजित संगोष्ठी/ सम्मेलन आदि में भाग लेने के लिए अध्येतावृति अनुदान रहित अवकाश के स्थान पर ड्यूटी अवकाश प्रदान किया जाएगा। इस तरह की यात्रा भारत में सम्मेलन आदि में भाग लेने के लिए अकादमिक गतिविधि के तहत आती है और इसे ड्यूटी अवकाश के हिसाब दिया जाता है। हालांकि, ‘ड्यूटी अवकाश’ के दिनों की संख्या अपरिवर्तित रहेगी।

**नोट-** चूंकि संस्थान के अध्येताओं पर केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम लागू नहीं हैं अतः वे ऐसे नियमों के तहत अवकाश नकदीकरण या किसी अन्य लाभ प्राप्त करने हकदार नहीं हैं।